



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या - 300 राँची, मंगलवार, 5 जुलाई, 2022 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

5 जुलाई, 2022 / आषाढ़ 14, 1944 (शक)

सं. 480/2022(1) :- राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा;

- (क) अपनी दिनांक 5 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 480/2022 के अनुसार उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान कमरा संख्या 63, संसद भवन, नई दिल्ली नियत करता है; और
- (ख) 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न दोनों को सम्मिलित करते हुए तक का समय ऐसे समय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसके, यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त स्थान पर मतदान होगा।

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया,
वरिष्ठ प्रधान सचिव

उपरोक्त आदेश का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

5th July, 2022 / Ashadha 14, 1944 (Saka)

480/2022 (1):- In pursuance of Rule 8 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby;

- (a) fixes Room No. 63, Parliament House, New Delhi as the place of polling for the Vice-President Election to be held in accordance with its Notification No.480/2022, dated the 5th July, 2022; and
- (b) specifies the hours from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. both inclusive to be the hours during which the poll, if necessary, will be taken at the said place of polling.

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA,

SR. PRINCIPAL SECRETARY